

अनुसूची-चार
(नियम 14 एवं 15 देखिये)

(क) श्रम

विभाग का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पात्रता के लिये अनुभव की न्यूनतम कालावधि	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 14 देखिये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
श्रम विभाग	उप श्रमायुक्त	5 वर्ष	अपर श्रमायुक्त	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्देशित सदस्य - अध्यक्ष सचिव, श्रम विभाग - सदस्य श्रमायुक्त - सदस्य
	सहायक श्रमायुक्त	5 वर्ष	उप श्रमायुक्त	-तदैव-
	श्रम पदाधिकारी	5 वर्ष	सहायक श्रमायुक्त	-तदैव-
	(1) सहायक श्रम पदाधिकारी (2) स्टेनोग्राफर वर्ग-2 (3) कार्यालय अधीक्षक	5 वर्ष	श्रम पदाधिकारी	-तदैव-

(ख) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	10 वर्ष	संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	-तदैव-
सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	5 वर्ष	उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	-तदैव-